न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०)/ हरदोई।

(१४वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)

सत्र परीक्षण संख्या –३४६/२०१५

सरकार बनाम मुनीन्द्र आदि

सी०एन०आर०नं०–यूपी एचआर०१००२५७०२०१५

JO Code–UP1577

दिनांक२९–०२–२०२०

मुकदमा अपराध संख्या २४३/१५, सत्र परीक्षण संख्या ३४६/१५, अंतर्गत धारा ३०७ भा०दं०सं०, थाना शाहाबाद जिला हरदोई के प्रकरण में अभियुक्त नागेन्द्र मोहन की तरफ से गैर जमानती अधिपत्र को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया गया है दिनांक २०–०१–२०२० को वह आवश्यक कार्य से बाहर गया था और भूलवश अपने अधिवक्ता को सूचना देना भूल गया। दिनांक २२–०१–२०२० को प्रार्थी वापस आया तो उसे ज्ञात हुआ कि दिनांक २१–०१–२०२० को उसके विरूद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश पारित हो गया है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, अज्ञानतावश हुयी है। प्रार्थी अपनी अज्ञानतावश हुयी गैर हाजिरी की क्षमा याचना करना चाहता है और इन्हीं आधारों पर गैर जमानती अधिपत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

विदित है कि प्रश्नगत वाद साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। साक्षी एस०एच०ओ० राजेश सिंह को पत्रावली में आदेशिका जारी हो चुकी थी उसके पश्चात नियत अगली तिथि में अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण, तत्पश्चात से लगभग चार तिथियों तक पत्रावली की कार्यवाही विलम्बित हुयी है। कारणस्वरूप जो कथन अभियुक्त द्वारा किया गया है वह पत्रावली को अनंतकाल तक लम्बित रखने का पर्याप्त आधार बनाया जा सकता है। आवश्यक कार्यवश बाहर होना न्यायालय की अनुपस्थिति के उचित/पर्याप्त कारणों की श्रेणी में रख दिया जाये तो किसी भी पत्रावली का निस्तारण असम्भव हो जायेगा। अतः अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य से न केवल साक्ष्य के स्तर पर पत्रावली की कार्यवाही विलम्बित हुयी है बल्कि जमानत की शर्तों का दुरूपयोग भी किया गया है और उसे इस स्तर पर रिहा किये जाने पर पुनः पत्रावली की कार्यवाही विलम्बित और बाधित हो सकती है। अतः अभियुक्त द्वारा किया गया कथन बलहीन है। प्रार्थना वास्ते अपास्त करने गैर जमानतीय अधिपत्र है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नागेन्द्र मोहन का प्रार्थनापत्र वास्ते अपास्त किये जाने गैर जमानतीय अधिपत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुये जिला कारागार हरदोई प्रेषित किया जाये।

(वायु नन्दन मिश्र)

अपर सत्र न्यायाधीश,(एफ०टी०सी०) हरदोई।

(१४वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)